



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234749
CG-DL-E-01042022-234749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1481]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 1481]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

का.आ. 1533(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 100 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, यह राय रखते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, केबिन से युक्त कृषि ट्रैक्टर, केबिन से युक्त निर्माण उपस्कर यान और कंबाइन हार्वेस्टर सहित सभी मोटर यानों, को उक्त नियम 100 के लागू होने से 31 मार्च, 2023 तक छूट देती है और विनिर्माता 31 मार्च, 2021 तक विद्यमान नियम 100 के उपबंधों का पालन करना जारी रखेंगे।

2. वे विनिर्माता, जो 1 अप्रैल, 2021 को विद्यमान नियम 100 के उपबंधों का पहले से ही अनुपालन कर रहे हैं, वे सतत् ऐसा कर सकेंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/03/2019-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2022

S.O. 1533(E).—In pursuance of sub-rule (4) of rule 100 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient to do so, hereby exempts all motor vehicles including agricultural tractor fitted with cabin, construction equipment vehicle fitted with cabin and combined harvester from the application of rule 100 of the said rules, up to the 31st March, 2023 and the manufacturer shall continue to comply with the provisions of rule 100 as existed on 31st March, 2021.

2. Any manufacturer who have already complied with the provisions of rule 100 of the said rules, as existed on 1st April, 2021, shall continue to do so.

[F. No. RT-11028/03/2019-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.